

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 185 / 2003

संस्थापन दिनांक 04.08.1993

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-अमृतलाल पुत्र होतमसिंह गुर्जर उम्र 35 साल,
निवासी ग्राम नौगांव थाना पनिहार जिला ग्वालियर
म.प्र.

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 04.05.93 को 01:30 बजे मालनपुर में 12बोर की सिंगल बैरल लाइसेन्स क्रमांक 222/87 क्षेत्र ग्वालियर को अवैध रूप से जिला भिण्ड की सीमा के अंदर चैकिंग के दौरान प्रवेश करते हुए पाया गया और सीमा में प्रवेश करने के लिए उसके पास वैध लाइसेन्स नहीं था इस प्रकार लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.93 को फरियादी भानुप्रताप थाना प्रभारी मालनपुर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को वह थाना मालनपुर के सामने वाहनों की चैकिंग कर रहा था चैकिंग के दौरान आरोपी अमृतलाल के पास एक 12 बोर की सिंगल बैरल की बंदूक जिसका लाइसेन्स क्रमांक 222/87 थाना पनिहार जिला ग्वालियर दिनांक 31.12.92 का था रखा हुआ पाया गया और लाइसेन्स के दूसरे पर्व पर दिनांक 31.12.93 तक रिन्यू होना लेख था और मजिस्ट्रेट की सील लगी थी हस्ताक्षर नहीं थे। आरोपी ने अवैध रूप से जिला भिण्ड में आयुध के साज्ज प्रवेश किया था तब उसकी लाइसेन्स सीमा समाप्त हो गयी थी। तत्पश्चात 12बोर बंदूक व तीन राउण्ड व लाइसेन्स को

समक्ष गवाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 बनाया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 बनाया तत्पश्चात मय माल व आरोपी के थाना वापिस आकर थाना मालनपुर में अप0क्र0 47/1993 की एफ.आई.आर. प्र0पी-4 पंजीबद्ध की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या आरोपी ने दिनांक 04.05.93 को दोपहर 01:30 बजे थाना मालनपुर जिला भिण्ड के सामने अपने ज्ञानपूर्ण अधिपत्य में अनुज्ञा के स्थानीय क्षेत्राधिकार के उल्लंघन में आयुध 12 बोर की बंदूक व तीन राउण्ड रखे ?
 2. क्या आरोपी ने उक्त आयुध अपने ज्ञानपूर्ण अधिपत्य में अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी रखा ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी मायाराम अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 03.05.93 को वह थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को वह भानुप्रताप तौमर के साथ थाना मालनपुर के सामने फोर्स के साथ वाहन चैकिंग कर रहा था तब आरोपी अमृतलाल के पास 12 बोर की बंदूक थी जिसके लाइसेन्स का क्षेत्र ग्वालियर जिले का था और लाइसेन्स नवीनीकृत भी नहीं था। आरोपी से 12 बोर की बंदूक, तीन राउण्ड चालू हालत में और लाइसेन्स जप्त किया था। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
6. साक्षी रामकिशन अ0सा04 ने इंकार किया है कि पुलिस ने उके समक्ष आरोपी से 12 बोर की बंदूक, तीन जिंदा राउण्ड और एक लाइसेन्स जप्ती पत्रक प्र0पी-1 के अनुसार जप्त किया था इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.स. प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. साक्षी रामअवतार अ0सा02 ने कथन किया है कि वह दिनांक 04.05.93 को थाना मालनपुर में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था। तब अप0क्र0 47/93 की विवेचना में मायाराम अ0सा01 व रामकिशन अ0सा04 के कथन उनके बताये अनुसार लिखे थे।
8. साक्षी मुन्नालाल अ0सा03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 07.03.93 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सी.बी.सिंह के अधीनस्थ पदस्थ था तब थाना मालनपुर के अप0क्र0 47/93 में जिला दण्डाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी थी कि आरोपी के नाम 222/87 क्रमांक की अनुज्ञप्ति है जो दिनांक 18.03.87 को स्वीकृत है जिसका एरिया ग्वालियर है और जो दिनांक 31.12.195 तक नवीनीकृत

है उक्त जानकारी प्र०पी-3 के ए से ए भाग पर सी.बी.सिंह के हस्ताक्षर हैं जिनके अधीनस्थ उसने कार्य किया है इसलिए हस्ताक्षर पहचानता है।

9. साक्षी उदयवीर अ०सा००६ ने कथन किया है कि वह दिनांक ०१.०६.९३ को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था तब अप०क्र० ४७/९३ थाना मालनपुर की केस डायरी सहित अभियोजन स्वीकृति चलाने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था जिनका आर०सी०सिन्हा जिला दण्डाधिकारी द्वारा अवलोकन करने के बाद संतुष्ट होने से अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी-५ दिया था जिसके ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर हैं जिनके अधीनस्थ उसने कार्य किया है इसलिए हस्ताक्षर पहचानता है।
10. साक्षी महेशचन्द्र सक्सेना अ०सा००७ ने कथन किया है कि वह दिनांक २६.०७.९३ को पुलिस लाईन भिण्ड में प्र०आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के अप०क्र० ४७/९३ में १२बोर की बंदूक क्रमांक २९०६ जांच हेतु प्राप्त हुई थी जो १९८८ की एन.एफ.जी. कंपनी की बनी हुई थी जिसका टिगर एक्शन चैक करने पर बंदूक चालू हालत में पाई थी जिसकी रिपोर्ट प्र०पी-६ है और ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाद जांच बंदूक थाना मालनपुर को वापिस कर दी थी।
11. मायाराम अ०सा००१ ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपी से जप्त लाइसेन्स नवीनीकृत नहीं था और प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी ने लाइसेन्स दिखाया था और लाइसेन्स की जानकारी भी ग्वालियर से मंगाई थी जो सही पाई थी लेकिन लाइसेन्स नवीनीकृत नहीं था और इस सुझाव से इंकार किया है कि जानकारी में लिखा था कि लाइसेन्स दिनांक ३१.१२.९३ तक नवीनीकृत है। लेकिन साक्षी मुन्नालाल अ०सा००३ ने मुख्यपरीक्षण की जानकारी प्र०पी-३ के अनुसार आरोपी का लाइसेन्स दिनांक ३१.१२.९५ तक नवीनीकृत होना बताया है। मुन्नालाल के उक्त कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है और स्वयं अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को जानकारी प्र०पी-३ के संबंध में परीक्षित कराया गया है। जानकारी प्र०पी-३ भी अभियोजन द्वारा ही पेश की गयी है। अतः मायाराम अ०सा००१ ने आरोपी का लाइसेन्स नवीनीकृत न होने के संबंध में प्रतिपरीक्षण में असत्य कथन किए हैं। जानकारी प्र०पी-३ में यह तथ्य भी लेख नहीं है कि उक्त नवीनीकरण किस दिनांक को किया गया है। अतः घटना दिनांक को आरोपी का लाइसेन्स प्रभावशील न होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः घटना दिनांक को आरोपी के पास बंदूक रखने का वैध लाइसेन्स था।
12. अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने आयुध अपने ज्ञानपूर्ण अधिपत्य में अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी रखा।
13. प्रकरण में जप्त आर्म्स लाइसेन्स के अनुसार बंदूक १२बोर की क्रमांक १२९०६ और राउण्ड रखने का स्थानीय क्षेत्र जिला ग्वालियर निर्धारित है बचाव पक्ष ने भी इस तथ्य को चुनौती नहीं दी है जप्ती के संबंध में स्वतंत्र साक्षी रामकिशन अ०सा००४ ने आरोपी से जिला ग्वालियर के बाहर आयुध जप्त होने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। जप्तीकर्ता भानुप्रताप का पता ज्ञात न होने से अभियोजन उक्त साक्षी को परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है। अतः एकल साक्षी मायाराम अ०सा००१ की साक्ष्य अभिलेख पर है। मायाराम अ०सा००१ ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जिला ग्वालियर व थाना मालनपुर के क्षेत्र में मात्र एक फलांग की दूरी है और यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने घटनास्थल का कोई

नक्शामौका नहीं बनाया गया। अतः जबकि आरोपी के आयुध धारण करने का अधिकार क्षेत्र और जप्ती के अभिलिखित क्षेत्र में मात्र एक फलांग की दूरी है तब आरोपी से जप्ती का स्थान स्पष्ट करने के लिए नक्शामौका आवश्यक था जिसे विरचित न किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अतः जप्ती का स्थान राजस्व जिला ग्वालियर के बाहर का है यह प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन द्वारा पेश नहीं की गयी है। जबकि उक्त तथ्य ही अपराध की आवश्यक वस्तु है और संदेह के परे प्रमाणित करने के लिए अभियोजन ने दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है।

14. मायाराम अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि थाने के आसपास मकान हैं लेकिन विवेचक रामौतार अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटनास्थल के आसपास कोई मकान नहीं है। अभियोजन मामले में एफआईआर के अनुसार घटनास्थल थाने के सामने का ही है और उक्त दोनों पुलिस साक्षीगण मायाराम अ0सा01 व रामौतार अ0सा02 ने उक्त थाने में पदस्थ रहने के बाद भी थाने के सामने के उक्त घटनास्थल का अलग-अलग विवरण दिया है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में घटनास्थल विश्वसनीय रूप से प्रमाणित करने के लिए विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं है।
15. अतः घटनास्थल जिला ग्वालियर के क्षेत्राधिकार के बाहर का था इस तथ्य के सबूत का भार अभियोजन पर था परन्तु अभियोजन द्वारा इस संबंध में कोई विश्वसनीय मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। मायाराम अ0सा01 व रामौतार अ0सा02 ने ही घटनास्थल का अलग-अलग विवरण बताया है अतः उनके कथन पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता है। तर्क के लिए आरोपी से जप्ती मान भी ली जाये तो अपराध की विषयवस्तु जप्ती का स्थान ग्वालियर के बाहर का होने का तथ्य ही विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने अधिकार क्षेत्र के बाहर अपने ज्ञानपूर्ण अधिपत्य में आयुध रखा।
16. परिणामः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने उक्त आयुध अपने ज्ञानपूर्ण अधिपत्य में अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी रखा और यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 04.05.93 को दोपहर 01:30 बजे थाना मालनपुर जिला भिण्ड के सामने अपने ज्ञानपूर्ण अधिपत्य में अनुज्ञा के स्थानीय क्षेत्राधिकार के उल्लंघन में आयुध 12 बोर की बंदूक व तीन राउण्ड रखे।
17. परिणामतः आरोपी को धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
18. प्रकरण में जप्त आयुध सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0